फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश मेघवंशी शाखा कार्यालय तिसरी मंजिल, लेण्डमार्क टॉवर, अपोजिट जय क्लब, सी स्कीम, जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशन लाल हरिजन नि. हरिजन मोहल्ला, दरीबा, मेहन्दुरिया, राजपुरा जिला राजसमंद **–ऋणी**
2. श्री हरि कुमार हरिजन नि. हरिजन मोहल्ला, दरीबा, मेहन्दुरिया, राजपुरा जिला राजसमंद
3. श्रीमती दुर्गा देवी हरिजन नि. हरिजन मोहल्ला, दरीबा, मेहन्दुरिया, राजपुरा जिला राजसमंद **सह ऋणी**

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 59/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक 07.03.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2 एवं 3 ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये अनुबन्ध खाता संख्या H4M3FLP061860 दिनांक 29.08.2020 से 18,45,491/– अक्षरे अठारह लाख पेंतालिस हजार चार सौ इक्काणवे रूपये लिया था। अप्रार्थीगण 1, 2 एवं 03 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति :– दरीबा, हरिजन मोहल्ला, महेन्दुरिया, राजपुरा, तहसील रेलमगरा जिसके पडौस निम्न प्रकार से हैं – पूर्व : श्री भंवर लाल पिता श्री घीसारामजी हरिजन, पश्चिम : श्री जोधाराम पिता श्री देवीलाल हरिजन, उत्तर : श्री गौतम पिता श्री जोधाराम हरिजन, दक्षिण : आम रास्ता। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 04. 08.2021 को ऋण खाते के भुगतान में व्यतिक्रम होने से अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण से उक्त ऋण खाता संख्या H4M3FLP061860 दिनांक 29.08.2020 से 18,45,491/– अक्षरे अठारह लाख पेंतालिस हजार चार सौ इक्काणवे रूपये बकाया होने एवं ब्याज राशि सहित दिनांक 20.09.2021 तक 19,23,624 अक्षरे उन्नीस लाख तेबीस हजार छः सौ चौबीस रूपये की मांग हेतु उक्त अधिनियम	-

की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 20.09.2021 को एक मांग नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 12.11.2021 को प्राप्त हो गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया है। प्रार्थी कम्पनी उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिंकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 20.09.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई । उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण दरीबा, हरिजन मोहल्ला, महेन्दुरिया, राजपुरा, तहसील रेलमगरा जिसके पडौस निम्न प्रकार से हैं – पूर्व : श्री भंवर लाल पिता श्री घीसारामजी हरिजन, पश्चिम : श्री जोधाराम पिता श्री देवीलाल हरिजन, उत्तर : श्री गौतम पिता श्री जोधाराम हरिजन, दक्षिण : आम रास्ता। है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द